इसी प्रकार प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थीनी का मुतदाविया खेतायों की भूमि 1/11 हिस्सा निहित है या नहीं के तथ्य का प्रार्थी का विनाय प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र तथा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत वादपत्र के अन्तिम निर्णय से खातेदारान का हिस्सा विनिश्चय होगा। जिससे प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति किसी एक पक्ष की बजाय दोनों पक्षों को होना प्रतीत होता है साथ ही भविष्य में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नं. 493, 891/381, 418, 584, 381, 890/584, 157 को लेकर इन्ही पक्षकारों के मध्य में विवाद बढने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रकरण हाजा में दोनो पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना उचित होगा।

: : आदेश : :

अतः प्रकरण हाजा में दिनांक 29.12.2015 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद पुख्ता किया जाता है तथा दोनो पक्षों (प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 12) को पाबंद किया जाता है कि वे मौजा ईग्यार तहसील जायल के खसरा नं. 493, 891/381, 418, 584, 381, 890/584, 157 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

यह आदेश आज दिनांक 18/X/2021 मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

18/X/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner